राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ.4 (ई) सेवा.नि./अलेसे–III/ 9333-9353 दिनांक :– 24.9.2013

कार्यालय आदेश संख्या 249/2013–14

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.1 (6) एफडी/रूल्स/98 दिनांक 24.05.2004 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकारों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 5 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक से मध्यान्ह पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र. सं.	नाम लेखाकार/ कनिष्ठ लेखाकार सर्व श्री	मेरिट संख्या	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय/ विभाग	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5	6
1	जगदीश चन्द दवे	490ए/88	संभागीय आयुक्त, जोधपुर	09.07.1954	31.07.2014
2	हरि सिंह अटल	54/92स्पे	जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण, अलवर	08.07.1954	31.07.2014
3	राम कुमार स्वामी	166/79	भू–प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर	03.08.1954	31.08.2014
4	जय राम शर्मा	748/88	कोषाधिकारी, धौलपुर	18.08.1954	31.08.2014
5	रणवीर सिंह राजावत	934/86	निदेशालय, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, राजस्थान एवं राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, जयपुर	20.09.1954	30.09.2014
6	पूरण चन्द सचदेव	426/88	प्राचार्य, स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर	28.09.1954	30.09.2014
7	नटवर लाल पुरोहित	289/90	रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर	01.10.1954	30.09.2014

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि क्रम संख्या 2 पर अंकित श्री हरि सिंह अटल, कनिष्ठ लेखाकार के विरूद्ध कार्मिक (क–3) विभाग के पत्र क्रमांक प.1 (142) कार्मिक/क–3/2010 दिनांक 16.08.2010 के द्वारा सीसीए नियम 16 में ज्ञापन जारी किया हुआ है और जांच विचाराधीन है। क्रम संख्या 3 पर अंकित श्री राम कुमार स्वामी, कनिष्ठ लेखाकार के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर द्वारा अपराध संख्या 10/1990 में परिवाद

पंजीबद्ध है जिसके कारण विभाग द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी की हुई है तथा प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। शेष अन्य लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकारों के विरूद्ध वर्तमान में इस निदेशालय में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कोई जांच लम्बित नहीं है।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक :– एफ.4 (ई) सेवा.नि./अलेसे–III/ 9333 - 9353 दिनांक :– 24/9/2013

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, अजमेर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
3. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष .... को प्रेषित कर निवेदन है कि सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच प्रस्तावित हो तथा ऐसी कोई शिकायत हो, जो पेंशन को प्रभावित करती हो तो अविलम्ब इसकी सूचना पेंशन कार्यालय व इस विभाग को भिजवावें ताकि यथासमय उचित कार्रवाई की जा सके।
4. श्री ...., कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय ....।
5. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I) को प्रेषित कर लेख है कि क्रम संख्या 1, 4, 6 एवं 7 पर अंकित कार्मिकों को लेखाकार के पद पर पदोन्नति दी जा चुकी है। अतः इनके सेवानिवृत्ति आदेशों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करें।
6. संयुक्त निदेशक (विधि/जांच)।
7. निजी सहायक निदेशक महोदया।
8. गोपनीय शाखा/डीपीसी शाखा/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)।
9. निजी/गार्ड फाईल।

(महेन्द्र सिंह भूकर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

कमरा नम्बर 310, "A" ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर–302015 (फैक्स नं. 0141–2742309) (ई–मेल :– jdp-ta-rj@nic.in)